



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]
No. 558]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 711(अ).— केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष और सदस्य को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा अधिवेशनों की रीति या प्राधिकरण के व्ययों की पूर्ति करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 22क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “अध्यक्ष” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) “सदस्य” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22क, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क के अधीन तथा किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) “नियम” से अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों को संदेय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में कोई अन्य शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. भत्ते - प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रत्येक दिन को बैठक के लिए निम्नलिखित रकम संदेय होगी, अर्थात् :-

अध्यक्ष - दो हजार रुपये

सदस्य - एक हजार पांच सौ रुपये।

4. यात्रा और दैनिक भत्ता,- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को जब वह नई दिल्ली से बाहर यात्रा पर हों, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के लिए उसी दर पर हकदार होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विहित हैं।

स्पष्टीकरण - प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य अपने गृह नगर या किसी अन्य स्थान से दिल्ली की यात्रा के लिए, प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में, जिसके अंतर्गत दिल्ली में प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेना भी है, किसी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्तों के पात्र नहीं होंगे।

5. वाहन सुविधा,- प्राधिकरण का अध्यक्ष स्टाफ कार और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल प्रति माह या पेट्रोल की वास्तविक खपत, इसमें से जो भी कम हो, का हकदार होगा।

6. आवास सुविधा,- प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य प्राधिकरण में अपनी स्थिति के होने के कारण आवास या गृह किराया भत्ते का पात्र नहीं होगा।

7. प्राधिकरण के व्यय,- प्राधिकरण के व्यय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषदों और अन्य प्राधिकरणों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित करें और ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार विनिश्चित करें, द्वारा वहन किए जाएंगे।

8. निधि का सृजन,- (1) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषदों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित करें, नियम 7 के अधीन अभिदाय से एक निधि का सृजन करेगी जिसमें "अपील प्राधिकरण निधि" कहा जाएगा।

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान एक पदधारी को अधिनियम की धारा 22ड के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा जो निधि का "मुख्य लेखा अधिकारी" पदाभिहित होगा।

(3) निधि का प्रशासन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रत्येक भागीदार संस्थानों और अन्य प्राधिकरणों से एक पदधारी प्राधिकरण को उपलब्ध होंगे।

(4) उपर्युक्त उपधारा (2) और (3) के अधीन, प्राधिकरण निधि के प्रचालन को विनियमित करने और ऐसे नियमों और विनियमों, जो लागू हों, के अधीन प्राधिकरण के व्ययों को उपगत करेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रूप से नियुक्त, अधिनियम के अर्थों के अधीन व्यवसाय में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा के अधीन निधि के वार्षिक लेखे होंगे।

(6) प्रत्येक वर्ष के अंत में तशाशीघ्र जहां तक व्यवहार्य हो, किंतु अगले वर्ष की 30 सितंबर के पश्चात् नहीं, निधि का मुख्य लेखा अधिकारी भागीदार संस्थानों और अन्य प्राधिकरणों का उपनियम (5) के अधीन तैयार की गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों को भेजेगा।

9. अवशिष्ट उपबंध,- प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों के संबंध में जहां कोई स्पष्ट उपबंध इन नियमों के अधीन नहीं किए गए हैं, ऐसे प्रत्येक मामले को विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को भेजेगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय उक्त अध्यक्ष और सदस्यों पर आबद्धकर होगा।

[फा. सं. 5/27/2006/सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 711(E).— *In exercise of the powers conferred by section 22C of the Chartered Accountants Act, 1949, the Central Government hereby makes the following rules in respect of allowances payable to Chairperson & members and other terms and condition of service thereof and manner of meeting the expenditure of authority, namely:-*

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Chartered Accountants Act, 1949

(b) "Authority" means Appellate Authority constituted under section 22A of the Act.

(c) "Chairperson" means a person appointed as Chairperson of the Authority under section 22A of the Chartered Accountant Act, 1959.

(d) "Member" means a person appointed as Member of the Authority under section 22A of the Chartered Accountant Act, 1959, section 22A of the Cost and Works Accountants

Act, 1959 and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980, and any other person appointed as Member of the Authority under any other Act;

(e) "Rules" means the Appellate Authority (Allowances, other terms and conditions of service and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Allowances.- The Chairperson and the Members of the Authority shall be paid the following amount for each day of sitting, namely:-

Chairperson	-	Rupees Two Thousand.
Member	-	Rupees One Thousand Five Hundred.

4. Travelling and daily allowances.- The Chairperson and Members of the Authority while on tour outside New Delhi shall be entitled to the traveling allowances and daily allowances at the same rates as are prescribed in the High Court Judge (Travelling Allowances) Rules, 1956.

Explanation.- Chairperson and Members of the Authority shall not be eligible for payment of any travelling allowance or daily allowance for travel to Delhi from their home town or any other place, in connection with work related to the Authority, including attending the sitting of the Authority at Delhi.

5. Facility of conveyance.- The Chairperson of the Authority shall be entitled to a staff car and one hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol, whichever is less.

6. Accommodation.- The Chairperson and other Members of the Authority shall not be eligible for accommodation or House Rent Allowance on account of their holding positions in the Authority.

7. *Expenditure of the Authority.*— The expenditure of the Authority will be borne by the Councils of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost and Works Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India and such other authorities as may be decided by the Central Government and in such proportion as may be decided by the Central Government from time to time.

8. *Creation of a Fund.*— (1) A fund called the "Appellate Authority Fund" shall be created with the contributions under rule 7 from the Councils of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost and Works Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India and such other authorities as may be decided by the Central Government from time to time.

(2) One official of Institute of Chartered Accountants of India made available to the Authority under sub-section (1) of section 22E of the Act shall be designated as the "Chief Accounts Officer" of the Fund.

(3) The fund shall be administered by a Committee consisting of one official from each of the participating institutes and other authorities made available to the Authority.

(4) Subject to sub-sections (2) and (3) above, the Authority will regulate the procedure for operation of the fund and incurring expenditure of the Authority and subject to such rules and regulations as may be in force:

(5) Annual Accounts of the fund shall be subject to audit by a Chartered Accountant in practice within the meaning of the Act to be appointed annually by the Authority.

(6) As soon as may be practical at the end of each year, but not later than 30th day of September of the year next following, the Chief Account Officer of the Fund shall forward the annual accounts to the participating institutes and other authorities alongwith the report of the auditor prepared under sub-rule (5).

3647 95]06-2

9. **Residuary provision:-** Matters relating to the conditions of services of the Chairperson and other Members of the Authority with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Chairperson and other Members.

(F. No. 5/27/2006/CL-V)

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.